राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या–835 /2016..जिला........जयपुर...

उनवान– **मैसर्स ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर**
बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉण्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2017	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज–अध्यक्ष** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा तथा उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपील पर उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी। उपायुक्त (प्रशासन), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश दिनांक 18.01.2016 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को देखते हुए निरस्त किया जाता हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का मौका देते हुए पुनः आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को आदेश दिया जाता है कि वे आगामी नियत दिनांक 13.02.2017 को आवश्यक रूप से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश हो। निर्णय सुनाया गया। (खेमराज) अध्यक्ष	